कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः फा.( )सविरा/बैंकिंग/ऋण माफी यो./2018 पार्ट दिनांकः22.01.19

आदेश

विभाग के आदेश क्रमांक फा.( )सविरा/बैंक–4/ऋण माफी/2019 दिनांक 08.01.2019 की अनुपालना में अल्पकालीन फसली ऋण माफी योजना, 2018 में डूंगरपुर जिले में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु जांच प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में जांच हेतु गठित जांच दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रस्तावित कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में माननीय सहकारिता मंत्री महोदय द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही त्वरित रूप से सम्पादित कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है :–

बिन्दु संख्या	कार्यवाही	किसके स्तर पर सम्पादित की जानी है
1.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., डूंगरपुर में फसली ऋण माफी योजना, 2018 की विशेष ऑडिट करवाने हेतु ऑडिटर्स के दल का गठन किया जावे जो केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., डूंगरपुर की सम्पूर्ण ऋण माफी की ऑडिट करें	संयुक्त मुख्य अंकेक्षक (जनरल) प्रधान कार्यालय, जयपुर
2.	तत्काल आवश्यक अधिनियमान्तर्गत व कानूनी कार्यवाही की जावे ताकि दोषियों का दायित्व निर्धारण किया जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।	1. अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उदयपुर खण्ड, उदयपुर 2. प्रबंध निदेशक, सी.सी.बी. डूंगरपुर
3.	सी.सी.बी. डूंगरपुर में फसली ऋण माफी योजना, 2018 में हुई अनियमितताओं में सुधार के लिए शीर्ष सहकारी बैंक के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में सी.सी.बी. डूंगरपुर द्वारा तत्काल कार्यवाही की जावे।	1. प्रबंध निदेशक, शीर्ष बैंक, जयपुर 2. प्रबंध निदेशक, सी.सी.बी. डूंगरपुर
4.	ऋण माफी योजना का उक्त लैम्पस व शाखा से संबंधित समस्त रिकार्ड को सी.सी.बी. डूंगरपुर प्रशासन द्वारा उपरजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, डूंगरपुर की अभिरक्षा में रखा जावे।	1. उप रजिस्ट्रार, सह. समितियां, डूंगरपुर 2. प्रबंध निदेशक, सी.सी.बी. डूंगरपुर

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्काल रूप से सम्पादित करते हुए, की गई कार्यवाही की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्ब प्रस्तुत किया जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(डॉ0 नीरज कुमार पवन)
रजिस्ट्रार

क्रमांकः फा.( )सविरा/बैंकिंग/ऋण माफी यो./2018 पार्ट दिनांकः22.01.19

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सहकारिता, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उदयपुर खण्ड, उदयपुर।
4. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि., जयपुर।
5. संयुक्त मुख्य अंकेक्षक (जनरल), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
6. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, डूंगरपुर, राजस्थान।
7. प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., डूंगरपुर, राजस्थान।
8. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी प्र.का., जयपुर [विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करवाने हेतु]

594
24/01

संयुक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग)